

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01905/2025-2026

दिनांक 06/09/2025



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/AGR/07995/2025-2026

पत्रावली संख्या: Ag-26909

दिनांक: 2000-2001

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि दि ग्रेट अशोका पब्लिक स्कूल समिति, राजपुर चुंगी, शमसाबाद रोड, आगरा, आगरा, 282001 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 666/2000-01 दिनांक-02/08/2000 को दिनांक-02/08/2025 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100 रूपये की नवीनीकरण फ्रीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(BIPUL KUMAR SINGH)

AB852F4B2ABG07C029A4BE3064963B4AE17DFB22

Date: 06/09/2025 7:43:44 PM, Location: Agra.

जारी करने का दिनांक-06/09/2025

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य है। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असंबद्ध व्यक्तिके किसी दावे, अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम - दि ग्रेट अशोका पब्लिक स्कूल समिति
2. संस्था का पता - राजपुर चुंगी शमशाबाद रोड आगरा (2090)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा ।
4. संस्था का उद्देश्य - संलग्न स्मृति पत्र के अंकितानुसार होंगे :-
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

1. संरक्षक सदस्य - जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 501, रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा !

2. आजीवन सदस्य - जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 1000, रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा ।

3. साधारण सदस्य - जो सज्जन इस संस्था को प्रति वर्ष 250, रूपया देगा वह सज्जन इस संस्था का साधारण सदस्य बनाया जायेगा ।

4. विशिष्ट सदस्य - ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हों व जो विद्वान होंगे सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों जनप्रतिनिधि सदस्यों को परामर्शकारिणी दो वर्ष के लिए संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान एवं चंदा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार न होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों की संख्या 5 से अधिक न होगी ।

6. सदस्यता की समाप्ति -

1. सदस्य की मृत्यु होने पर पागल या दिवालिया होने घोषित हो जाने पर ।
2. आचरण भ्रष्ट होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर ।
3. किसी न्यायालय द्वारा दण्ड दिये जाने पर ।
4. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
5. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर ।
6. किसी सदस्य के विरुद्ध 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर ।
7. सदस्य द्वारा त्याग पत्र दिये जाने पर व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी ।

7. संस्था के अंग -

अ. साधारण सभा

The Executive Committee

School Samiti

Rajpur Chungi Shamshabad Road,
AGRA

3. साधारण सभा -

गठन - सत्य प्रतिनिधि

बैठक -

सूचना अवधि - तथा सोचाव

बाबरा डेब बाबरा

25-4-06

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा । साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकता अनुसार बुलाई जायेगी ।

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 07 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी ।

गणपूर्ति :-

गणपूर्ति के लिये 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि:-

संस्था का विशेष अधिवेशन प्रति वर्ष हुआ करेगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के बहुमत से तय की जावेगी ।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:-

1. प्रबन्ध समिति का समय - समय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना ।
2. संस्था के वार्षिक आय व्यय बजट आदि वार्षिक कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार करना व उन्हें स्वीकृति करना ।
3. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन एवं परिवर्तन करना ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति:-

अ. गठन:-

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन आम सभा के बहुमत से कम से कम 07 सदस्यों को मिलाकर किया जावेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एवं उपप्रबन्धक/उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष एक आडीटर तथा शेष कार्यकारिणी समितिके सदस्य होंगे ।

ब. बैठक:-

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक को वर्ष में दो तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी ।

स. सूचना अधि:-

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 07 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 24 घण्टे पूर्व सूचना के किसी भी पर्याप्त समय से दी जावेगी ।

द. गणपूर्ति:-

य. रिक्त स्थानों की पूर्ति

गणपूर्ति के लिये 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

प्रबन्धकारिणी समिति के कोई अकस्मात स्थान रिक्त हो जाता है तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्ध समिति की बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी ।

१०. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य:-

1. संस्था की उन्नति व विकास हेतु हर संभव प्रयास करना व प्रस्ताव पास करना ।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिपक्व 2/3 बहुमत से करना ।
3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना ।

ल. कार्यकाल :-

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा ।

10. पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य:-

अध्यक्ष :-

संस्थ प्रतिनिधि

पर निबन्धक

अध्यक्ष का मुख्य कार्य बैठकों की अध्यक्षता करना । AGRA मीटिंग बुलाना व स्थगित करना किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।

The Great Andhra Public School

Rajpur Chungi Srisahebada

श्री राज सिंह परिहार

...3...पर

कपिल सिंह

बापराव चेंबर आरका

25-4-2020

गुणवत्ता केवल

श्री राज सिंह

- उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा प्रस्तावित कार्य करना व उपस्थित में कार्यों में सहयोग करना।
- प्रबन्धक / सचिव:- अ. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना मीटिंग बुलाना उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना।
 ब. संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना निर्धारण व नियमावली आदि बनाना।
 स. संस्था की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना दान, अनुदान, चंदा, सदस्यता शुल्क प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना।
 य. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।
 द. संस्था के अन्तर्गत संचालित शिक्षा संस्थानों व विद्यालयों में कार्यरत कर्म-चारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एवं पदभ्रुत करना वेतन भोगी कर्मचारियों की वेतन तय करना व उसका भुगतान करना।
 प. संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों ऋण, अनुदान, पत्रों, चैकों, ड्राफ्टों बन्धक बिलेखों, बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
 र. संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था के विकास में सहायक हों।

उपप्रबन्धक / उपसचिव:-

- प्रबन्धक / सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये सभी कार्यों को करना उपस्थिति में कार्यों में सहयोग करना।
- कोषाध्यक्ष:- समिति के कोष से सम्बन्धित हिसाब किताब रखना।
1. संस्था के आय-व्यय विवरण को रखना।
 2. संस्था के प्रबन्धक / सचिव द्वारा सौंपे गये सभी कार्य करना।
- उपसचिव:- संस्था की प्रबंधसमिति द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

आडिटर:-

संस्था के आय-व्यय विवरणका प्रति वर्ष आडिट करना।

11. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:-

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिपत्रम साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।

12. संस्था के कोष :- संस्था के कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में खाला खोलकर रखा जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक / सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

13. संस्था का लेखा परीक्षण आडिट:-

संस्था का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडिटर अथवा चाटर्ड एकाउण्टेंट द्वारा किया जायेगा।

अध्यक्ष प्रतिनिधि

उप प्रबन्धक

उप सचिव

कोषाध्यक्ष

25-11-06

धुवपलता

कापिल सिंह

The Great Lakes School Society
 Rajpur Chakri, Kanpur Road,
 AGRA

अध्यक्ष

उपसचिव

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:-

यदि दुर्भाग्यवश संस्था पर कोई मुकदमा चलाता है तो मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक / सचिव अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।

15. संस्था के अभिलेख:-

संस्था के अभिलेख निम्न प्रकार के होंगे :-

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. लोजर कौशबुक स्टॉक रजिस्टर आदि ।

16. संस्था का विघटन:-



संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अनुसार की जायेगी ।

दिनांक :- 20-11-06 सत्यप्रतिलिपि

जीरु सिंह जीदार

अशोक कुमार

कपिल सिंह

सत्य प्रतिलिपि

प्रवक्ता

कचन

दीपक सिंह

बिट कन्ट्रॉलर्स तथा वीसाइट
बायबल होम आउट

25-11-06

The Great Rajput Chamber of Commerce and Industry
Rajput Chamber of Commerce and Industry
AGRA

संस्था का नाम/पता - दि ग्रेट अशोका पब्लिक स्कूल समिति,
राजपुर चुंगी शमसाबाद रोड आगरा

साधारण सभा के सदस्यों की सूची वर्ष- 2025-2026

क्र. सं०	नाम	पता	व्यवसाय	सदस्यता
1	श्री अशोक कुमार	37 लक्ष्मन नगर अर्जुन नगर खेरिया मोड	व्यवसाय	सा० सदस्य
2	श्री अरविन्द कुमार	सुल्तानपुरा म न.485 आगरा कैंप आगरा	व्यवसाय	सा० सदस्य
3	श्री नीरज सिंह परिहार	अर्जुन नगर खेरिया मोड आगरा	स०सेवा	सा० सदस्य
4	श्री अनुराग पाराशर	ए 32 एम आई जी शास्त्रीपुरम सिकन्दरा आगरा	स०सेवा	सा० सदस्य
5	श्री पुष्पलता	कोठी न.6 गोपालपुरा आगरा	गृहणी	सा० सदस्य
6	श्री अजय सिंह चौहान	कोठी न.6 गोपालपुरा आगरा	व्यापार	सा० सदस्य
7	श्री अमित वर्मा	18/281 भेरो गली माईथान आगरा	स०सेवा	सा० सदस्य
8	श्री सुबोध कुमार	486, सुल्तानपुर गुम्मद आगरा	स०सेवा	सा० सदस्य

अशोक कुमार

श्री अरविन्द कुमार

Anurag

अमित

Subodh

पुष्पलता

अशोक कुमार

The Great Ashoka Public School Samiti

Rajpur Chungi Shamshabad Road,

AGRA

संशोधित स्मृति पत्र

- 1- संस्था का नाम - वि. ग्रेट अशोक पब्लिक स्कूल समिति
- 2- संस्था का पता - राजपुर बुंगी शमसाबाद रोड, आगरा
- 3- संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा।
- 4- संस्था के उद्देश्य - संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे -

- 1- संस्था का उद्देश्य शिक्षा का प्रसार व प्रचार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह-जगह विद्यालयों की स्थापना करना व उनका निष्पक्ष संचालन करना छात्र-छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, वैसायिक, आर्थिक, साहित्यिक रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना।
- 2- संस्था का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु प्राइमरी, जू0 हा0 स्कूल, हा0 स्कूल, इण्टरमीडियेट एवं नियमानुसार विश्वविद्यालयों की स्थापना करना व उनका संचालन करना।
- 3- संस्था का उद्देश्य निर्धन असहाय, अनाथ, अपंग बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना तथा उनकी सुविधा हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास एवं क्रीडाकेन्द्रों की स्थापना करना एवं उन्हें प्राग्य बनाने हेतु तकनीकी एवं ग्रामोद्योगी शिक्षा आदि देकर उन्हें स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना।
- 4- संस्था का उद्देश्य बच्चों में परस्पर एकता एवं भाईचारे की भावना पैदा करना तथा उनमें देश प्रेम की एवं राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करना।
- 5- संस्था का उद्देश्य कार्यक्षेत्र में शिक्षा विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों एवं मंत्रालयों के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना एवं प्राप्त आय आय को संस्था के हितार्थ एवं चैरिटेबिल कार्यों पर व्यय करना।
- 6- संस्था का उद्देश्य समय-समय पर सांस्कृतिक बाल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना व उसका संचालन करना।
- 7- बालक-बालिकाओं को व्यावहारिक शिक्षा देकर अनुशासन एवं देशप्रेम की भावना उत्पन्न करना व अच्छे नागरिक बनाना।
- 8- बालक-बालिकाओं की प्रगति एवं उत्थान के लिये धार्मिक शिक्षा एवं सामाजिक शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करना।
- 9- संस्था का उद्देश्य निर्धन, अनाथ, असहाय, विकलांग बच्चों को सिलाई, कढ़ाई बुनाई, हस्तशिल्पकला दरी, कालीन, कम्प्यूटर, टाइपिंग, आशुलिपि एवं अन्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर उन्हें स्वरोजगार एवं आत्म निर्भर बनाना।
- 10- औषधीय एवं सुगन्ध पौधों की खेती कृषकों के माध्यम से कराना।
- 11- औषधीय पौधों की नर्सरी तैयार कर बीज, पौध का विवरण करना।
- 12- औषधीय पौध कृषि उत्पाद का विक्रय करना।
- 13- औषधीय एवं सुगन्ध पादपों को विस्तृत जानकारी कृषकों को देना तथा अतिरिक्त आय के संसाधन उपलब्ध कराना।
- 14- औषधीय वृक्षों एवं सागान्य वृक्षों का वृक्षारोपण कराना।
- 15- जडी-बूटी सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के कार्यों को करना।



पर

(Signature)

विट कड फन्स तथा सौदा

धारा 3 क्षेत्र, आगरा

10/3/2020

(Signature)

(Signature)

- 16- फल उद्यान-फलदार पौधों में आरोपण कराना कृषकों के माध्यम से ।
- 17- प्रसंस्करण इकाई स्थापना हेतु प्रयास करना ।
- 18- पलोरीकल्चर (पुष्प उत्पादन) कट फ्लावरर्स तैयार कराना ।
- 19- जैविक खेती कराना एवं वायो फर्टिलाइजर्स, वायो कम्पोस्ट, बर्मी कम्पोस्ट इनका उत्पादन कराते हुए जैविक खेती कराना ।
- 20- जनजागरण सम्बन्धी अभियान सरकारी सहायतार्थ चलाना जैसे- पगौरण सम्बन्धी, जल सम्बन्धी इत्यादि ।
- 21- शिक्षा के विकास हेतु प्राईमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल, कालेज, डिग्री कॉलेज, पी0 जी0 कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करना तथा निःशुल्क दूरस्था शिक्षा, तकनीकी औद्योगिक एवं ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर युवक/युवतियों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना ।
- 22- नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र के पिछड़े एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, मातृ शिशु पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, बाल टीकाकरण, कार्यक्रमों गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम चलाना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय-समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना ।
- 23- नागरिकों में सामाजिक जन चेतना जागृत करना एवं विज्ञापन, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से एड्स, कैंसर, हैपेटाइटिस बी आदि जानलेवा बीमारियों से बचने के उपाय सुझाना एवं इन पर प्रभावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना एवं मद्यनिषेध कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर चलाना ।
- 24- निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर रोगों का परीक्षण करवाना, पोलियो आदि के टीका एवं प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाना ।
- 25- संस्था का उद्देश्य छात्राओं एवं महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा जैसे- ~~आई0टी0आई0~~ आई0टी0आई0, एन0 टी0टी0 आदि संस्थान खोलकर तकनीकी शिक्षा प्रदान करना ।
- 26- विकलोगों के लिये उपकरण बॉटने के लिये जगह-जगह पर कैम्प लगाना तथा विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण तैयार करने के लिये कार्यशाला खोलना एवं उनका संचालन करना तथा बैशाखी एवं ट्राईसेम साईकिल तथा मुक बधिरों के लिये श्रवण यन्त्र एवं चश्मा उपलब्ध करना / कराना ।
- 27- कृषि प्रधान देश में किसानों की सोचनीय दशा को ध्यान में रखते हुए उन्नत कृषि को बढ़ावा देना व उन्नत कृषि के बारे में किसानों को कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण देना तथा किसानों में परस्पर एकता की भावना पैदा करें उन्नति कृषि को अपनाने पर बल देना, जैविक खाद के उपयोग प्रचार-प्रसार तथा किसानों को इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान करना ।
- 28- समाज के अपेक्षित जैसे-अन्धे, कुष्ठ, रोगी व मुक बधिरों, विकलोगों व निराश्रित लाचार वृद्धजनों के कल्याण के लिये कार्य करना तथा बाल आश्रम अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की निःशुल्क स्थापना करना ।

ए.एस.रिड

वृत्तना सिंह

विजय सिंह चौहान

विजय कुमार

विजय कुमार

विजय कुमार



विजय कुमार

विजय कुमार

विजय कुमार

विजय कुमार

विजय कुमार

अलोक कुमार

29- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार निगम तथा बोर्ड आदि के सहयोग से सम्बन्धित विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे- शुद्ध पेयजल की व्यवस्था व पानी की समस्या हेतु हैण्डपम्प, टंकी लगवाना, क्षेत्र को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क खडन्जा तथा मलिन बस्तियों का सुधार सफाई, व शौचालयों सामुदायिक केन्द्रो, आश्रय स्थलों तथा मलिन बस्तियों का सुधार सफाई, व शौचालयों सामुदायिक केन्द्रो, आश्रय स्थलों की स्थापना करना / निर्माण कराना तथा लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना ।

30- समाज के फैले अंधविश्वास एवं कुरीतियों को खत्म करने के लिये प्रयास करना, भ्रूण हत्या पर रोक लगाना आदि कार्यक्रम चलाकर जनमानस को जागरूक करना ।

निर्धन एवं अनाथ लोगों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनीसेफ, हडको, महिला एवं बाल विकास विभाग, कर्पाट, काई, सिप्सा, नावार्ड, आवार्ड, नौराड, डूडा, सूडा, सिडवी, राष्ट्रीय महिला कोष, बाल विकास पुष्ताहार, महिला कल्याण एवं बाल कल्याण निधि महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय बाल भवन वस्त्र शिल्प हस्तमंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, मत्स्य विभाग, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रममंत्रालय, राजीव गाँधी फाउन्डेशन, विश्व स्वास्थ्यसंगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को चलाकर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना ।

32- समाज की निर्धन कन्याओं का दहेज रहित सामूहिक विवाहों का आयोजन कराना एवं परित्यक्ताओं व विधवाओं को पुर्नविवाह हेतु प्रेरित करना ।

33- संस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, सूअर पालन, गौ पालन, भेंस पालन, मधुमक्खी पालन, आदि को बढ़ावा देना तथा पलोरी-कल्चर एवं अन्य उन्नत कृषि औषधियों की कृषि को बढ़ावा देना एवं कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा मशरूम की खेती व प्लान्टेशन कार्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा कर उन्हें रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित कर गाँवों का सर्वांगीण विकास करना ।

34- गरीब व जरूरतमन्द व्यक्तियों को समय-समय पर दूध, वस्त्र, अनाज फलों व दवाओं का वितरण करना व परिवार के मुखिया की मृत्यु की स्थिति में आश्रित परिवारजनों के पोषण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

35- समाज के पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की समुचित व्यवस्था करना सरकार से अनुदान प्राप्त करना साथ ही समाज कल्याण विभाग से अनुदान प्राप्त कर छात्रवृत्ति प्रदान करना ।

लाल सिंह

अनाथशाला

अनाथशाला

अनाथशाला

अनाथशाला

अनाथशाला



Handwritten signature

अनाथशाला

अनाथशाला

अनाथशाला

अनाथशाला

अनाथशाला

अनाथशाला

अनाथशाला